


परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (लम्बाई 22.700 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शारान तथा भारत सरकार द्वारा लगायी गयी मानक शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।


 कनिष्ठ अ० सहा० अभि०
 पी०एम०जी०एस०वाई० ल००नि०वि०
 धारचूला (पिथौरागढ़)


 सहायक अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० ल००नि०वि०
 धारचूला (पिथौरागढ़)


 अधिशासी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० ल००नि०वि०
 धारचूला (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गसकु से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (22.700 किमी.) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

टास्क फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्रः

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा प्रदत्त रारंतुतियां प्रयोक्ता एजेन्सी को गान्धी हैं।

कमिष्ट / ३० सहा० अभि०
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
धारचूला (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम

:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गसकू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (22.700 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं हैं तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

60/-

(राजस्व उपनिवेशक)
क्षेत्र - युनिट 1 फिल्म
लैले.....
पिथौरागढ़

60/-

(तक्रान्तस्थान)
तहसील, जनपद पिथौरागढ़ (यु.क्ष.)

60/-

(जिला अधिकारी)
पिथौरागढ़


इमारी वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम

:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (22.700 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/ वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/ रथानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (22.700 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को /रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वा०इ०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वा०इ०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वा०इ०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

प्रारूप - 40

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (लम्बाई 22.700 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रमों परिवारों जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्तीय ग्रमों परिवारों जनसंख्यां को लाभ प्राप्त होगा होगा

क्र सं	ग्राम का नाम	कोड	जनसंख्या
1	कुरीला		312
2	जिमाफी		723
		योग	1035

कनिष्ठ अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0ए खण्ड
लो0नि�0वि0, धारचूला

सहायक अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0ए खण्ड
लो0नि�0वि0, धारचूला

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0ए खण्ड
लो0नि�0वि0, धारचूला

परियोजना का नाम

— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गसकू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (22.700 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एनोपी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश रांख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एनोपी०वी० की देयता नियता निम्नानुसार है:-

1. ईको-क्लास श्रेणी VI
2. हरियाली का घनत्व 0.1 से 0.2 प्रतिशत '4
3. एनोपी०वी० की दर प्रति है 897600/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 12.035
5. कुल देय एनोपी०वी० की धनराशि 10795395/-


वन क्षेत्राधिकारी
संघ लोकाधिकारी
प्रारम्भ
वन प्रभारी एवं वनाचारी


प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम

:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (22.700 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में ८०० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का बुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मॉग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

प्रारूप 52


परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (लम्बाई 22.700 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हरतान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित कर जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्रावकलन

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत (फेजIX) में प्रस्तावित, गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (लम्बाई 22.700 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


सीमांकन प्रावकलन

क०सं०	कार्य का विवरण	लम्बाई (कि०मी० में)	दर प्रति (कि०मी० में)	धनराशि (रु० में)
1	वन भूमि के दोनो तरफ 60 60 60 के 1:2:4 सीमेट प्लास्टर व दो कोट सफेदी के सीमांकन पिलर का निर्माण कार्य	22.700	11640.00 14 प्रील 6000/-	264228.00 2,64000/-
	योग			264228.000 2,64000


कनिष्ठ अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०ए खण्ड
ल००नि०वि०, धारचूला


सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०ए खण्ड
ल००नि०वि०, धारचूला


अधिकारी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०ए खण्ड
ल००नि०वि०, धारचूला



परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गसकु से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (22.700 किमी.) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आर०सी०सी० पिलरों की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीमांकन हेतु आर०सी०सी० पिलरों की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनविभाग को कर दिया जायेगा।

—
कनिष्ठ/अ० सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० ल००निय०
धारचूला (पिथौरागढ़)

—
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० ल००निय०
धारचूला (पिथौरागढ़)

—
अधिकारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० ल००निय०
धारचूला (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम

:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (22.700 कि०मी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेस)- गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला

आरक्षित वन भूमि	-	शून्य है०
वन पंचायत	-	शून्य है०
सिविल सोयम भूमि	-	12.035 है०
निजी भूमि	-	11.598 है०
योग	-	23.633 है०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम

- पी०एम०जी०एस०वाई०, लौ. नि. वि.

“द्वारका (पिथौरागढ़)

- पिथौरागढ़ वन प्रभाग।

4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है

- हाँ/ नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है

- हाँ/ नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व
3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।

- हाँ/ नहीं

7. क्या प्रारूप में वांचित स्थानों पर दिनांक व
स्थान भरा गया है।

- हाँ/ नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया
गया है।

- हाँ/ नहीं

9. वित्तीय/प्रशासनिक रवीकृति संलग्न है

- हाँ/ नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की
सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है।

- हाँ/ नहीं

11. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण
प्रमाण पत्र संलग्न है।

- हाँ/ नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है
— हाँ/ नहीं ✓
13. सरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।
— हाँ/ नहीं ✓
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है
— हाँ/ नहीं ✓
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है
— हाँ/ नहीं ✓
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है
— हाँ/ नहीं ✓
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है
— हाँ/ नहीं ✓
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है
— हाँ/ नहीं ✓
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है
— हाँ/ नहीं ✓
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है
— हाँ/ नहीं ✓
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
— हाँ/ नहीं ✓
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग—अलग रंगों से भरा गया है
— हाँ/ नहीं ✓
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है
— हाँ/ नहीं ✓
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है
— हाँ/ नहीं ✓
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।
— हाँ/ नहीं ✓

26. सङ्क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक संरेखण मानवित्र पर दर्शायें गये हैं
- हाँ/नहीं✓

27. वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये)
- हाँ✓/नहीं

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हॉ से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
- हाँ✓/नहीं (क्षेत्र 5 हॉ से अधिक है)

29. मानवित्र व बार चार्ट में एकलूप्त है
- हाँ✓/नहीं

30. मलवे के निस्तारण की योजना भय मानवित्र सहित संलग्न है
- हाँ✓/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है— हाँ✓/नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है
- हाँ✓/नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं
- हाँ✓/नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है
- हाँ✓/नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है
- हाँ✓/नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं — हाँ✓/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

Shanty
कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाइ0, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

R.
सहायक अभियन्ता
पी0एग0जी0एस0वाइ0, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

Rajesh
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाइ0, सिंचाई खण्ड,
पिथौरागढ़

O
ब्रह्मगीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
वन प्रभाग पिथौरागढ़

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गसकू रो जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग (लम्बाई 22.700 किमी) के नव निर्माण हेतु यन्हें भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का राम्यूर्ण युगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बनविभाग को कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ / अ० सहा० अभिनीत
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०निंवि०
धारचूला (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०निंवि०
धारचूला (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० लो०निंवि०
धारचूला (पिथौरागढ़)